ई–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा0वि0 वाद सं0– 09/19–20

जवाहर लाल मधुकर बनाम् शेख जहाँगीर वगै0

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक जवाहर लाल मधुकर, पे0–भोला भगत व जर्नादन भगत, पे0–स्व0 सूर्य नारायण भगत दोनो सा0–मांगन पिपरा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा मौजा–मांगनपिपरा नं0–656, जमाबंदी नं0–44/क, कुल रकवा–07–00–00 धूर भूमि को विपक्षीगण (1) शेख जहाँगीर (2)शेख अलिम (3)शेख सलीम (4)शेख हलीम, चारो पे0–स्व0 शेख हमीद, सा0–समरी, थाना व सवडीविजन–महागामा, जिला–गोड्डा से दखल दिलाने के लिए दाखिल आवेदन के आलोक में प्रक्रिया प्रारंभ किया गया । तदनुसार उभयपक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजातो का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–752/रा0 दिनांक–28.06.2022 द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मांगनपिपरा, थाना नं0–656, जमाबंदी नं0–44, कुल रकवा–33–04–19 धूर भूमि खतियानी रैयत–शेख शदुला मंडल वो शेख भत्तु मंडल पे0–शेख बैरम मंडल कौम–शेख साकिन–समरी के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अंतर्गत प्रश्नगत दाग सं0.–72, रकवा–00–16–00 धूर भूमि किस्म धानी ऑवल, दाग नं0–115 रकवा–00–01–12 धूर भूमि किस्म धानी दोयम, दाग नं0–116, रकवा–00–10–05 धूर भूमि किस्म धानी दोयम, दाग नं0–118, रकवा–00–09–06 धूर भूमि किस्म धानी ऑवल, दाग नं0–121, रकवा–00–02–11 धूर भूमि किस्म धानी दोयम एवं दाग नं0–47, रकवा–08–00–00 धूर भूमि धानी दोयम कहकर दर्ज है। प्रथमपक्ष जवाहर लाल मधुकर एवं अन्य द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के RER Case No- 1937/1934-35 के माध्यम से दिनांक–16.12.1935 को जमाबंदी नं0–44 के अंतर्गत दाग नं0–72,115,116,118,121 एवं 47 के अंदर कुल रकवा–07–00–00 धूर भूमि प्रथम पक्ष जवाहर लाल मधुकर के परदादा–हरवंश भगत को प्राप्त है। पंजी 2 के अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा–मांगनपिपरा, थाना नं0–656 पेज नं0–51 पर होल्डिंग सं0–44 कुल रकवा–24–12–06 धूर भूमि शदुला मंडल वो शेख भत्तु मंडल, सा0–समरी के नाम से दर्ज है। विपक्षीगण मो0 जहाँगीर, मो0 अलीमुद्दीन, मो0 सलीम एवं मो0 हलीमुद्दीन सभी पे0–शेख हमीद जो खतियान रैयत शेखु भत्तु मंडल का पोता है। इनका वादगत भूमि होल्डिंग सं0–44/क के दाग नं0–72,115,116,118,121 एवं 47 कुल रकवा–07–00–00 धूर भूमि पर दखल कब्जा है, जबकि वादगत भूमि होल्डिंग सं0–44/क रकवा–07–00–00 धूर भूमि पंजी 2 में हरवंश भगत के नाम से पेज नं0 59 पर दर्ज है। जाँच के क्रम में पाया गया कि वादगत भूमि रकवा–07–00–00 धूर भूमि पर दखल कब्जे को को लेकर दोनो पक्षों में विवाद है।

पुनः अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–752/रा0 दिनांक–28.06.2022 द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मांगनपिपरा, थाना नं0–656, जमाबंदी नं0–44, कुल रकवा–33–04–19 धूर भूमि खतियानी रैयत–शेख शदुला मंडल वो शेख भत्तु मंडल पे0–शेख बैरम मंडल कौम–शेख साकिन–समरी के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी के अवलोकन करने पर पाया कि मौजा–मांगनपिपरा, थाना नं0–656, होल्डिंग सं0–44, रकवा–24–12–06 धूर भूमि रैयत–शदुल्ला मंडल वो शेखु भत्तु मंडल साकिन–समरी, होल्डिंग सं0–44/क रकवा–07–00–00 धूर भूमि रैयत हरवंश भगत एवं

होल्डिंग सं0–44/ख रकवा–01–12–13 धूर श्री देवी मोदी, पिता–कालेश्वर मोदी, साकिन–देह के नाम से पंजी 2 में दर्ज है। किसी भी होल्डिंग के परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में खाता कायम करने का आधार दर्ज नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के अवलोकनोपरांत पाया कि विपक्षीगण प्रासंगिक जमाबंदी रैयत के वंशज है, जबकि प्रथमपक्ष के पूर्वजो का प्रासंगिक जमाबंदी से आंशिक भूमि का पंजी 2 में नया खाता कायम किया गया है, किन्तु होल्डिंग परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में खाता कायम करने का आधार दर्ज नहीं है। ऐसे में प्रासंगिक विवाद भू–स्वामित्व निर्धारण से संबंधित प्रतीत होता है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से आपेक्षित है। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्ति तक वर्त्तमान कायम जमाबंदी के अनुसार संबंधित वारिसानो को प्रासंगिक भूमि पर दखल कब्जा हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महागामा को भेंजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Md. Saud Ali
Adv
13/7/24

Seen by
Adv
13/7/24

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 16:32:22 +05:30
Location: 192.168.1.51